ईवी की खरीद, पंजीकरण पर दो वर्ष और छूट मिलेगी

सौगात 2

लखनऊ, विसं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को दिवाली का तोहफा दिया है। प्रदेश में ईवी खरीद पर दो साल तक पंजीकरण और रोड टैक्स में और छूट मिलेगी। सचिव औद्योगिक विकास विभाग विजय किरण आनंद ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। इसके साथ स्ट्रांग हाईब्रिड कारों पर छूट समाप्त कर दी गई है। जिन लोगों ने 13 अक्तूबर से 17 अक्तूबर के बीच ई-वाहन खरीदे हैं, उनके संबंध में अलग से छूट का आदेश जारी होगा।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए खरीद व पंजीकरण पर छूट देने का फैसला किया था। यह छूट 13 अक्तूबर 2025 को समाप्त हो गई थी। औद्योगिक विकास विभाग ने दीपावली पर छूट बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था। उनकी अनुमति पर अधिसूचना की तिथि से दो साल की अवधि तक ईवी खरीदने और पंजीकरण कराने पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी।

- औद्योगिक विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना
- दिवाली पर वाहन खरीदने वालों को मिला तोहफा

25 यूनिट तक अनुदान

एग्रीगेटर फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को दो पहिया, तीन पहिया या चार पाहिया वाहनों के अधिकतम 10 यूनिट, ई-बस या ई-गुड्स कैरियर्स के 25 यूनिट की खरीद पर अनुदान दिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में दी गई अन्य सेवा शर्तें पूरी तरह लागू रहेंगी।